<u>अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा</u>

- राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए वर्ष 2010-11 में दिनांक 22.02.2010 को एक लाख रूपये की "Rajasthan State Accredited Journalist Medical Facility Scheme 2009" का मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ।
- बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के पैरा संख्या 222 के अनुसरण में अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा में इस वित्त वर्ष से मेडिक्लेम कवरेज की राशि 1 लाख रूपये को बढ़ाकर 2 लाख रूपये की गई।
- बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के पैरा संख्या 261 के अनुसरण में अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा में वित्त वर्ष 2013-14 से मेडिक्लेम कवरेज की राशि 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये की गई।
- बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के पैरा संख्या 214 के अनुसरण में अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए लागू राज मेडिक्लेम पॉलिसी के अनुरूप 2 लाख रूपये के बीमा धन की Standard Mediclaim policy साधारण बीमा निधि द्वारा उपलब्ध कराई जाने की घोषणा की गई।
- बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के पैरा संख्या 215 के अनुसरण में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा में मेडिक्लेम कवरेज की राशि 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये की गई।
- बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के पैरा संख्या 417 के अनुसरण में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 5 लाख रूपये की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी सुविधा का विकल्प भी रखा गया। इस प्रकार वर्ष 2016-17 में अधिस्वीकृत पत्रकारों को 2 लाख, 5 लाख व 10 लाख रूपये की मेडिक्लेम पॉलिसी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
- बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या 301 के अनुसरण में राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को कैशलेस (**cashless**) किया गया। बजट घोषणा के क्रम में राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को राज्य में 01.03.2018 से लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह सुविधा चालू है।